फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री देवीलाल **विपक्षी : श्री रामलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 64/21**

जीसीएमएस : 2021/214

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 06.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में दिनांक 22.07.2021 से विपक्षी सं. 1 को वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है, जिसे मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं ताकि मूल वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार से मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। विपक्षी सं. 1 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा वारणी पटवार हल्का वारणी की आराजी नम्बर 311 रकबा 2.7519 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 320, 325 किता 2 रकबा 1.1493 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 302, 303, 304, 306, 307, 312, 484, 485 किता 8 रकबा 1.7724 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्ष मूल वाद के निस्तारण होने तक एक दूसरे के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करे, एक दूसरे को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, एक दूसरे को कृषि भूमि पर आवागमन करने देवे, एक दूसरे के हिस्से में प्रवेश व निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.07 17:05:02 IST
Reason: SelfAttested